اکتوبر ۲۰۱۲ء

# ماہنامہ شعاع عمل لکھنؤ

قَالَ اللّٰہُ تبارَکَ وَتعَالیٰ قَدْ جاءَ کُمْ مِنَ اللّٰہِ نُوْرٌ وَ کِتَابٌ مُبِیْنٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب





نورہدایت فاؤنڈیشن، حسینۂ غفرانمآبؒ، چوک، لکھنؤ-۳


R.N.I. No. UPBIL/2004/13526

Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2011-13 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

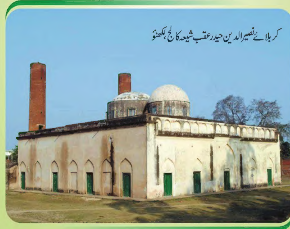

# SHUA-E-AMAL

Lucknow

# शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

**October 2012**



کربلائے نصیرالدین حیدر عقب شیعہ کالج، لکھنؤ



## NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION

Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Ph.:0522-2252230

बिस्मेही तआला

वर्ष 9 — अंक 4

न्यास संस्थापन

15 जमादिलऊला 1424 हि० / 16 जुलाई 2003 ई०

पत्रिका विमोचन

15 जमादिलऊला 1425 हि० / जुलाई 2004 ई०

**पर्यवेक्षक:**

मु० र० आबिद, [illegible]

**सलाहकार समिति**

- प्रोफ़ेसर अल्लामा अली मुहम्मद नक़वी, अलीगढ़
- डॉ० महदी ख़्वाजा पीरी, ईरान
- सै० हसन अब्बास नक़वी, मुम्बई
- मौलाना हसन ज़फ़र नक़वी, कराची
- प्रोफ़ेसर हुसैन कमालुद्दीन अकबर, इलाहाबाद
- कैप्टन सिकन्दर रिज़वी, लखनऊ
- सै० अहमद अब्बास नक़वी, मुम्बई
- शायरे अहलेबैत रज़ा सिरसिवी, दिल्ली
- सै० सैफ़ रज़ा नक़वी, दिल्ली
- मुहम्मद आसिम, हुसैनाबाद, लखनऊ

## नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

### इस्लामी, ज्ञान व शोध

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

अक्टूबर 2012

# शुआ-ए-अमल

"लखनऊ"

**संरक्षक**

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै. **कल्बे जवाद** नक़वी साहब

**सम्पादक**

सै. मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़' जायसी

**उप-सम्पादक**

क़ायम महदी नक़वी 'तज़हीब' नगरौरी

सै० आसिफ़ अब्बास नौगांवी, हैदर अब्बास रिज़वी

**मिलने का पता**

## नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत गुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक, लखनऊ - 3

Phone No: 0522-2252230 Mobile No: 09335276180 — 09335996808

[illegible]

Per Copy 20/- Annual 200/-




R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526





Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10




**WEBSITE:**
www.noorehidayatfoundation.com
www.al-ijtihaad.com




**E_mail:**
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com


## वार्षिक अंशदान

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर

2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर

3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर

4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

**लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-**

# विषय सूची

**अक्टूबर2012ई०**
**ज़ीक़ाद 1433हि०**



मासिक **"शुआ-ए-अमल"** (हिन्दी-उर्दू),
**"ख़ानदाने इज्तेहाद नम्बर"** और
नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन से प्रकाशित
**सभी किताबों** को
डाउनलोड करने के लिए
**लॉग आन करें हमारी वेबसाइट**
*Log on Our Website:*
www.noorehidayatfoundation.com

# शासन पद्धति

## नहजुल बलाग़ा से उद्धृत

उर्दू अनुवादकः आयतुल्लाह सैय्यद काज़िम नक़वी साहब क़िब्ला, अलीगढ़
हिन्दी अनुवादकः जनाब जौनुल हसन सौंराहवीं इलाहाबादी

बिस्मिल्ला हिर्रमार्निरहीम

यह वह अध्यादेश है जो अल्लाह के बन्दे हज़रत अली[अ०] ने मालिक इब्ने हारिस अश्तर के लिए लिखा है, उस समय जब उन्हें मिस्र का राज्य वहाँ के राजस्व का प्रबन्ध, आक्रमण करने वालों से सुरक्षा, वहाँ की ज़मीन की पैदावार और निवासियों की देख-रेख तथा उनकी सेवा के कार्य सौंपे हैं। उन्हें आदेश है कि "अल्लाह से डरते रहें, उसकी आधीनता को हर मामले में परम् आवश्यक समझें और उसके आदेश जो क़ुर्आन और हदीस से साबित होते हैं, जिनके पालन करने पर प्रत्येक मनुष्य के सौभाग्य की निर्भता और उनके इन्कार और विरोध ही पर दुर्भाग्य आधारित है, उन आदेशों का पालन अपना सिद्धांत बना ले और अपने हाथ, दिल और ज़बान से अल्लाह की मदद करते रहें इसलिए कि अल्लाह उसको मदद देने का ज़िम्मेदार है जो उसके उद्देश्यों का पुष्टीकरण करे और उसको इज़्ज़त देता है जो उसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखे। इसके अलावा उन्हें कि वह अपनी अश्लील इच्छाओं को बिल्कुल समाप्त कर दें और भावनाओं को रोके रखें इसलिए कि भावनाऐं ही मनुष्य को बुराईयों की ओर बुलाती हैं जब तक कि अल्लाह की मेहरबानी उसकी परिस्थिति में कार्यशील न हो।"

ऐ मालिके इब्ने अशतर! तुमको मालूम होना चाहिए कि मैंने तुम्हें मुल्क पर (हाकिम बनाकर) भेजा है, जहाँ तुम्हारे पहले बहुत सी अन्यायी और अत्याचारी हुकूमतें क़ायम रह चुकी हैं। निःसदेंह लोग तुम्हारे कामों को उसी प्रकार ध्यान से देखेगें जिस प्रकार तुम अपने पहले के हाकिमों के मामलात को देखा करते थे और तुम्हारे कार्य पद्धति पर इसी प्रकार नुक्ताचीनियाँ करेगें जैसी तुम उन हुकूमतों के कामों में किया करते थे और यह समझ लो कि नेक काम करने वालों की पहचान उन्हीं चर्चों द्वारा की जाती है जो अल्लाह उनके लिए अपने बन्दों की ज़बान पर जारी करता है, इसलिए तुम्हारी नज़र में परमप्रिय संचित कोष अच्छे कामों का संचित कोष होना चाहिए। अतः तम अपनी इच्छाओं को काबू में रखो और अपनी कामुकता को नाजायज़ चीज़ों से, क्योंकि कामुकता का विरोध उसकी पसन्द और नापसन्द वस्तुओं में भी उसके साथ न्याय है और अपने दिल को रियाया पर मेहरबानी, उनसे मुहब्बत और उनके साथ उदार होने का आदी बनालो और ख़बरदार उनके लिए फाड़ खाने वाले जानवर न बन जाना कि उनके खा जाने का मौक़ा तलाश कर रहे हो इसलिए कि तुम्हारे रियाया में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो तुम्हारे धार्मिक भाई और दूसरे वह जो ख़ुदा के बन्दे होने की हैसियत से तुम्हारे साथ एक स्तर पर हैं। उनसे अक्सर भूल-चूक भी होगी, मजबूरियाँ भी सामने होंगी और उनके हाथों कभी जानबूझ कर और कभी ग़लती से बहुत सी ख़ताऐं भी हुआ करेंगी। ऐसे अवसरों पर तुम्हें चाहिए कि तुम उनके दामनों को क्षमा और माफ़ी की दौलत से उसी प्रकार भर दो जिस प्रकार तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमको गुनाहों से माफ़ करने और बख़्श देने की दौलत से मालामाल कर दे। इसलिए कि तुम उनके हाकिम हो और मैं तुम्हारा हाकिम हूँ और मेरे ऊपर अल्लाह की हुकूमत है और उसी अल्लाह ने वहाँ के निवासियों की सेवा तुमसे करानी चाही है, और तुम्हारी उनके द्वारा

परीक्षा ली है। कभी अपने को अल्लाह के मुक़ाबले पर न लाओ इसलिए कि उसके प्रकोप के सामने तुम्हारी शक्ति कोई चीज़ नहीं और न तुम उसकी क्षमा और मेहरबानी से विमुक्त हो सकते हो। तुम्हें किसी को क्षमा करके लज्जित न होना चाहिए और किसी को सज़ा देकर खुश न होना चाहिए और कभी किसी मामले में जल्दबाज़ी से काम न लो जब कि वक़्त में विचार कर लेने की गुंजाईश हो और कभी यह न कहना कि मुझे प्रभुता प्राप्त है और मैं शासक हूँ इसलिए जो भी मैं हुक्म दूँ उसको हर हालत में मानना चाहिए। क्योंकि यह समझना दिल में फ़साद पैदा करना, दिल को कमज़ोर बनाने और जीवन में उथल-पुथल पैदा होने और दुर्घटनाओं को क़रीब लाने का कारण है। और अगर कभी यह तुम्हारी हुकूमत और शासन तुममें गर्व या अंहकार पैदा करे तो तुरन्त तुम अपने से बलन्द अल्लाह की हुकूमत के महान होने का ध्यान और स्वयं अपने ऊपर उसकी प्रभुता के होने का उस सीमा तक कि तुम्हें सिर्फ़ अपनी जान पर इतना अधिकार नहीं है, ख़्याल कर लो, यह तुम्हारी उदारता के जोश में शान्त और तुम्हारे गर्व और अंहकार में कमी पैदा कर देगा और तुम्हारी गई हुई अक़्ल और खोये हुए होशो हवास को फिर बुला लेगा।

देखो कभी अल्लाह से उसकी बुज़ुर्गी में मुक़ाबला और उसकी महानता और प्रकोप में बराबरी की कोशिश न करना क्योंकि अल्लाह हर घमन्डी और उद्दण्ड के सर को झुका देता है। और हर अंहकारी को ज़लील और बदनाम बना देता है। अल्लाह के अधिकारों में उससे न्याय करो और उसके बन्दों के जो अधिकार स्वयं तुम पर या तुम्हारे अज़ीज़ों और नातेदारों या तुम्हारे ख़ास आदमियों पर हों उन सबको अदा करके उसके साथ इन्साफ़ करो। इसलिए कि तुमने ऐसा न किया तो तुम अत्याचारी और क्रूर समझे जाओगे और जिसने अल्लाह के बन्दों पर अत्याचार किया तो बन्दों के स्थान पर प्रतिवादी अथवा विरोधी बन जाता है और जिसका विरोधी अल्लाह हो जाये तो अल्लाह उसकी प्रभुता को मिटा देगा और अल्लाह के मुक़ाबले में वह लड़ाई लड़ने वाला होगा। जब तक कि वह अत्याचारी अपने बुरे कर्मों को छोड़ न दे और अल्लाह के हुज़ूर (सामने) में तौबा (लज्जित होना) न कर ले। अल्लाह की दी हुई चीज़ो को समाप्त कर देने वाली और उसके प्रकोप को शीघ्र लाने वाली अत्याचार और क्रूरता पर जमे रहने से ज़्यादा कोई वस्तु नहीं है क्योंकि अल्लाह पीड़ितों और अत्याचार सहने वालों की फ़रियाद और पुकार को ख़ूब सुनता है और वह अत्याचारियों के घात में लगा रहता है।

ऐ मालिक! तुम्हारे लिए सारे कामों में परम् प्रिय वह होना चाहिए जो उनमें हक़ के एतबार से मोतदिल हो और न्याय के अन्तर्गत लोकप्रिय और विश्वव्यापी हो, और अधिक से अधिक प्रजा के लाभ को पूरा करने वाला हो, क्योंकि जनता की नाख़ुशी बड़े आदमियों की ख़ुशी को भी बेकार कर देती है और बड़े आदमियों की ख़ुशी जनता की ख़ुशी के साथ छोड़ी जा सकती है और बड़े आदमियों से ज़्यादा सारी जनता में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो हाकिम पर सम्पन्नता की हालत में ज़्यादा बोझ डालने वाला और मुसीबतों के समय पर हाकिम की सबसे कम मदद करने वाला, न्याय को बुरा समझने वाला और बड़े हट के साथ अपनी मांगों को पेश करने वाला, बख़्शिश और मेहरबानी पर सबसे कम कृतज्ञता प्रकट करने वाला और समय की प्रतिकूल परिस्थितियों और घटनाओं पर सबसे कम संतोष करने वाला हो। लेकिन धर्म को शक्तिवान बनाने का असली कारण और मुसलमानो के संगठन का असली केन्द्र और मुल्क और राष्ट्र पर दुश्मनों से मुकाबला करने वाली केवल साधारण जनता होती है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारे ध्यान उसके लिए और तुम्हारा झुकाव उनकी ओर हो और तुम्हारी प्रजा में सबसे ज़्यादा दूर, तुमसे और तुम्हारे गुस्से और क्रोध का सबसे अधिक भागी वह होना चाहिए जो सबसे अधिक लोगों की बुराईयों की खोज में रहता हो। क्योंकि वास्तव में अक्सर व्यक्तियों में ऐब और बुराईयाँ होती हैं जिनके छिपाने का सबसे ज़्यादा हक़दार उस समय का हाकिम है। इसलिए जो बातें तुम्हारी आँखों से ओझल हैं उनकी खोज न करो क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य उन्हीं वस्तुओं का सुधार है जो तुम पर ज़ाहिर हो। रह गई वह बातें जो तुमसे छिपी हुई हैं,

उनका फ़ैसला अल्लाह के ज़िम्मे है। इसलिए जहाँ तक हो सके ऐबों को छुपाने की कोशिश करो ताकि ख़ुदा भी छिपाये रखे तुम्हारे उन ऐबों को जो तुम अपनी प्रजा से छिपाये रखना चाहते हो और देखो अपने दिल से रियाया के लिए डाह और अदावत की हर गिरह खोल दो ओर दुश्मनी के हर रिश्ते को तोड़ दो और हर ऐसे कामों से नादान बने रहो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अभी कभी किसी की चुग़लख़ोर की चुग़लख़ोरी को जल्दी से सही न समझ लेना इसलिए चुग़लख़ोर सच्ची बातों का वास्तव में बुराई चेतने वाला होता है। यद्यपि वह भलाई चेतने वाला बनकर सामने आता है और कभी कंजूस को अपना सलाहकार न बनाना इसलिए कि वह तुम्हें लोगों के साथ भलाई और बख़्शिश करने से रोकेगा और ख़ज़ाने के ख़ाली हो जाने का ख़ौफ़ दिलायेगा और कभी किसी डरपोंक से सलाह-मशविरा न लो क्योंकि वह बड़े मामलों में तुम्हारी हिम्मत को पस्त करेगा और न किसी लालची को मशविरे में शामिल करना इसलिए कि वह तुमको क्रूरता और अत्याचार के साथ हवस पूरी करने पर आमादा करेगा। बात यह है कि कंजूसी, बुज़-दिली और लालच ये विभिन्न आदतें हैं जिनमें एक वस्तु उभयनिष्ट है और वह अल्लाह पर भरोसा न करना।

मंत्रियों में सबसे बुरा वह होगा जो तुम्हारे पहले बुरे हाकिमों का मंत्री रह चुका हो और पापों में उसके साथ सम्मिलित रह चुका हो ऐसे लोगों को तुम्हारे ख़ास आदमियों में न होना चाहिए क्योंकि वे पापियों के सहायक और अत्याचारियों के रिश्तेदार हैं और तुम्हें उनके बजाये दूसरे व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं जो अपनी राय के पक्के और सूझ-बूझ के अन्तर्गत उनके समान हों लेकिन उन पर वैसे अपराधों और अत्याचारों का भार न हो। जिन्होंने किसी ज़ालिम की उसके ज़ुल्म में मदद की हो और न किसी पापी की उसके पाप में सहायता। यह वह होंगे जो तुम्हारे लिये परेशानी के कारण न होंगे बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े मददगार और सहायक सिद्ध होंगे तुम्हारे लिये मुहब्बत और मेहरबानी का दम भरेगें और तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से सम्बन्ध न रखेंगे। इनको तुम अपनी सभा और तन्हाई में अपना साथी बना लो और उनमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा पसन्द वह हो जो कड़वे सत्य को साफ़ कहने वाला और सबसे कम तुम्हारी सहायता करने वाला हो उन बातों में जिस को ख़ुदा अपने बन्दों के लिए नापसन्द करता है चाहे वह तुम्हारी इच्छाओं के कितने ही अनुसार हों और तुम सदैव संयमी और सत्यवादियों को अपने साथ रखो फिर उन्हें इसकी आदत डालो कि वह तुम्हारी प्रशंसा न करें ऐसे कामों को तुमसे संबधित करके जो वास्तव में तुमने नहीं किये हैं, इसलिए अधिक प्रशंसा और सराहना घमण्ड और उद्दण्डता की सम्भावनायें बढ़ाती हैं और देखो अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने वाले तुम्हारे यहाँ बराबर न समझे जायें, इसलिए कि ऐसा करने में अच्छे कर्म करने वालों की अभिरुचि नेकी में कमी करना और बुरे लोगों को बुराई के कायम रखने पर आमादा करना है और हर एक के साथ बस वह व्यवहार करो जिसका वह खुद उसने अपने कर्म से अपना हक़ पैदा किया है और यह समझ लो कि राजा को अपनी प्रजा की वफ़ादारी पर भरोसा करने का कोई मान इससे बढ़कर नहीं है कि वह उनके साथ अच्छे सुलूक करे, उन पर टैक्स वगैरा के बोझ कम डाले और उनको ऐसी बुरी परिस्थितियों में न पड़ने दे जिनको वह बर्दाश्त न कर सकें। तुम्हें इस बारे में काम करने का ऐसा ढंग अपनाना चाहिए कि तुम अपनी प्रजा पर अपने व्यवहार के कारण भरोसा कर सको। इसलिए कि यह भरोसा और विश्वास तुम्हारी बड़ी तकलीफ़ (दिली उलझन) को दूर करेगा और सबसे अधिक तुम्हारे विश्वास का हक़दार केवल वही है कि जिसके साथ तुम्हारा सुलूक अच्छा रहा हो और सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय वह है जिसके साथ तुमने सुलूक अच्छा न किया हो और देखो कभी उस अच्छे रास्ते को न छोड़ना जिस पर धर्मात्मा और बुज़ुर्ग लोग तुमसे पहले चल चुके हैं, और जिससे मुहब्बत और मेल मिलाप के रिश्ते मज़बूत होते हैं। जिसके द्वारा प्रजा का सुधार होता है और कोई ऐसा तरीक़ा न अपनाना जो उन पिछले अच्छे तरीक़ों के विपरीत हो क्योंकि इस हालत में उस अच्छे तरीक़े को स्थापित करने वालों के लिए तो सवाब (पुण्ड की बात) रह जायेगी ओर तुम पर पाप चढ़ेगा।

कि तुमने उन तरीक़ों को समाप्त कर दिया उन चीज़ों को स्थाई रखने में जिनसे तुम्हारे मुल्क का सुधार हो और जिनके द्वारा इसके पहले सारी जनता और समस्त जीवों का बन्दोबस्त ठीक रह चुका है, विद्वानो के साथ वार्तालाप, विचारों का आदान-प्रदान और ज्ञानियों तथा शिक्षित व्यक्तियों से बात चीत करना तुम्हारे लिये लाभदायक होगा।

मालूम होना चाहिए कि प्रजा की कई श्रेणियाँ हैं जिनमें से एक दूसरे के बिना ठीक नहीं हो सकती और न वह एक दूसरे से विमुक्त रह सकती हैं। उनमें एक सैनिक हैं, दूसरे साधारण और मुख्य कार्यालयों में लिखा पढ़ी करने वाले लोग हैं। तीसरे न्याय और अदालत से फ़ैसला करने वाले अदालत के हाकिम हैं चौथे मुहब्बत और मेहरबानी से इन्तज़ाम करने वाले राज्य के हाकिम हैं। पाँचवे व्यापार पेशा और दस्तकार लोग हैं। छठे टैक्स और माल गुज़ारी देने वाले मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम लोग हैं। सातवें निचले दर्जे के मुहताज फ़क़ीर और ग़रीब लोग हैं और अल्लाह ने उनमें से हर एक का एक भाग निश्चित कर दिया है जिसकी जानकारी हमारे पास सुरक्षित है।

पहले प्रकार अर्थात् फ़ौजी लोग अल्लाह की मदद से जनता की सुरक्षा का किला, राजा का आभूषण, दीन और धर्म की प्रतिष्ठा और शांति का साधन हैं और जनता का बन्दोबस्त बिना इनके ठीक नहीं हो सकता। फिर फ़ौज की ज़िन्दगी है। जनता पर लगाये गये टैक्स आदि के कारण जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनो के मुक़ाबले पर तैयार होते हैं और इससे अपने जीवन की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति का साधन प्राप्त करते हैं और इन दोनों प्रकार के लोगों का दारोमदार है अदालत के हाकिमों, राजकर्ताओं और कार्यालयों के कर्मचारियों पर कि उनके द्वारा सामूहिक समझौते की दस्तावेज़े मुकम्मल हों और मुश्तरका अधिकारों की सुरक्षा हो और साधारण और असाधारण समस्यायें उनके द्वारा संतोषजनक परिस्थिति में तैय पायें। फिर इन सबकी स्थापना निर्भर है हस्तकला और व्यापार पेशा लोगों पर जो इन सबके लिए जीवन के समस्त सामान और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बाज़ारों को स्थापित करते हैं और उनको अपनी बहुत सी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ति करने की कठिनाई से बचा लेते हैं। सबके बाद ग़रीब और फ़क़ीरों का वर्ग है वह जिसकी सहायता और पालन पोषण करना राज्य के लिए अनिवार्य है। अल्लाह की ओर से इन सारे वर्गों के लिए सुविधाऐं उपलब्ध की गई हैं और हाकिम पर इनमे से हर एक का हक़ है उसी लिहाज़ से कि जितना वह काम करे।

सेना का सरदार उसे बनाना चाहिए जो तुम्हारे ख़्याल में ख़ुदा और रसूल का सबसे अधिक दिल के साथ पालन करने वाला सबसे ज़्यादा पाक-साफ़, सबसे अधिक सहनशील हो। जिसको गुस्सा देर में आये और माफ़ी चाहने पर सन्तुष्ट हो जाता हो। जो कमज़ोरों पर दया करने वाला हो और ताक़तवरों के साथ सख़्ती से पेश आने वाला हो, जिसको बुरी आदत जोश में न लाती हो और साहस की कमी बिठा न देती हो। फिर तुमको चाहिए कि उच्चकोटि के शरीफ़ खानदान वालों और अच्छी पुरानी परम्परा रखने वालों से सम्बन्ध स्थापित करो। फिर बहादुरों, दानियों और परोपकार करने वालों की ओर ध्यान दो क्योंकि यह लोग बुज़ुर्गी और नेकी के मालिक होते हैं फिर इनके मामलात की देखभाल इस प्रकार करते रहो कि जिस प्रकार माँ बाप औलाद का ख्याल रखते हैं और अगर इनके साथ कोई बड़ा एहसान करो तो उसको बड़ा न समझो और न किसी मेहरबानी को जो तुम उन पर किया करते हो अनावश्यक समझना चाहे वह छोटी ही बात क्यों न हो। इसलिए कि इससे उनका प्रेम तुम्हारे साथ बढ़ेगा और तुम पर उन्हें विश्वास पैदा होगा और देखो ऐसा न होने पाये कि बड़ी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को काफ़ी समझ कर तुम छोटी बातों में उनकी देखभाल छोड़ दो। इसलिए कि तुम्हारी मामूली मेहरबानी भी उनके लिए लाभदायक है और बड़ी मेहरबानी से भी वे विमुक्त नहीं हैं।

(.....जारी)

# ज़िन्दगी का सिस्टम

आयतुल्लाहिलउज़मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह
सम्पादनः नूरे हिदायत फ़ाउन्डेशन

**क़िस्त-6**

## तीसरा अध्याय काम का चरण

### तक़लीद

### इन्सान के करने वाले कर्तव्य (Practical Duties)

विश्वास के पोढ़े होने का खुला नतीजा कर्मों में ज़िम्मेदारी का एहसास (Sense) है। 'बालिग़' होने के साथ ही इन्सान पर ये ज़िम्मेदारी सख़्ती के साथ लागू होगी । शरीयत के लेहाज़ से यह अब तक आज़ाद था, अब बंध गया, अब इसका उठना-बैठना, चलना-फिरना, रुकना, होठों का हिलाना और आंखों का चलना सब पर शरीयत का हुक्म लगाया गया और यह सब हिसाब-किताब में शामिल हो गये और उसके कर्म और कर्तव्यों की सख़्ती के साथ देखरेख होने लगी है ।

अब सबसे पहले जो नमाज़ का वक़्त आयेगा उसमें उसको वाजिब के तौर पर नमाज़ पढ़ना होगी और नमाज़ के लिए सही तौर पर पाक होना ज़रूरी होगा, जिसके लिए कुछ हालतों में तो स्नान ज़रूरी होगा और कुछ सूरतों में वज़ू ज़रूरी होगा । बहुत आसान था अगर नमाज़ और पाक होने के सभी मसले हर तरह से एक निश्चित होते और इनमें कोई फ़र्क़ (भेद) न होता। यह कोई किताब उठा लेता और जो कुछ इसमें लिखा होता उस पर काम करता, मगर मुश्किल ये है कि मसलों में फ़र्क़ है और अलग-अलग उलमा (धर्मशास्त्रियों) के फ़तवे आपस में अलग-अलग हैं यानी कुछ फ़तवों में फ़र्क़ पाया जाता है फिर अब ये क्या करें क्योंकि काम करने के लिए तक़लीद (अनुयाय) की ज़रूरत है ।

### ज़िन्दगी के सिस्टम में तक़लीद की ज़रूरत

तक़लीद के बारे में अक्सर लोगों को ग़लतफ़हमी है। बहुत से लोग इसको पीरी-मुरीदी गुरू-चेले की तरह एक चीज़ समझते हैं, और कुछ इसको एक बेज़रूरत सी चीज़ समझते हैं। हालांकि अगर ग़ौर किया जाए तो ये बिल्कुल प्राकृतिक (natural) चीज़ है, जो दुनिया के हर श्रेणी (Walks of life) में चलता है, और किसी चीज़ को छूट नहीं है। ये ज़ाहिर है कि हर इन्सान हर कला का जानने वाला नहीं हो सकता, हर चीज़ में उसके जानने वाले (माहिर) होते हैं और कुछ ना जानने वाले, इसमें तो कोई शक नहीं कि ना जानने वाले लोग हमेशा ज़रूरत पड़ने पर जानने वाले लोगों के पास जाते हैं। खुदाना न चाहे आपका कोई रिश्तेदार बीमार है अगर आप खुद डाक्टर हैं तो अक्सर आप खुद ही उसका इलाज करेंगे लेकिन अगर आप डाक्टर नहीं हैं, तो ज़रूर किसी हकीम वैद्य या डाक्टर के पास जायेंगे, उससे हाल कहेंगे, डाक्टर मरीज़ की जांच करेगा, दवा बतायेगा, आप उसके नुस्ख़े पर चलेंगे। दवा लायेंगे और रोगी को पिलायेंगे, ये तक़लीद नही तो क्या है ?

आपको कोई मकान बनवाना हो तो आप आर्किटेक्ट के पास जायेंगे, अपनी ज़रूरतें उससे बयान करेंगे, वह नक़्शा बनायेगा, ख़र्च का अन्दाज़ा लगायेगा, आप उसी के कहने पर चलेंगे, ये तकलीद ही तो है ।

आपका कोई मुक़द्दमा सामने आता है तो आप वकील या बैरिस्टर के पास मसला लेके जाते है, मुक़द्दमें की पूरी बात सुनाते हैं, वह उसके सारे पहलुओं पर ग़ौर करता है, आप उसी की राय के मुताबिक़ कागजों को जमा करते हैं, गवाह तैयार करते हैं और

मुक़्दमें की पैरवी करते हैं, ये तक़लीद के अलावा कुछ और नहीं है।

यही बात हर चीज़ में है, फिर जिस मसले की अहमियत जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उसमें सूझ-बूझ और सोच-समझ से काम लेना पड़ता है । अगर कोई मामूली रोग है तो जो हकीम भी उस वक़्त वहां मौजूद हो उसी के पास जाकर नुस्ख़ा लिखा लिया लेकिन अगर रोग जटिल है तो कोशिश होती है कि जो सबसे बड़ा हकीम या डाक्टर उस समय हो उससे इलाज करवाया जाए। इसी तरह अगर छोटा सा मकान बनवाना है तो किसी मामूली नक़्शा बनाने वाले से नक्शा बनवा लेंगे, लेकिन अगर कोई आलीशान कोठी बनवानी हो तो बड़े इन्जीनियर की तलाश हागी। कोई मुक़द्दमा बिल्कुल मामूली दस-पांच रुपये का है तो किसी मामूली वकील से काम चल सकता है, लेकिन अगर बड़ा मुक़द्दमा है तो फिर आप सब से बड़े वकील के फेर में होगें। हालांकि एक बड़े डाक्टर, बड़े आर्किटेक्ट और बड़े वकील से भी ग़लती हो सकती है, इसलिए कभी उनके हाथों में और कभी उनके हाथों में भी असफलता/मात हो सकती है । मगर अक़्ल का फ़ैसला ये है कि अपनी तरफ़ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी अगर नुक़्सान हो जाए तो वह क़िस्मत से जुड़ा है, इन्सान का इसमें कोई द्वोष नहीं है।

अब देखिये कि शरीयत के हुक्म, यह वह चीज़ है जिससे इन्सान का दीन (धर्म) और दुनिया दोनों जुड़े हैं। अगर हर इन्सान इतनी जानकारी रखता है कि खुद खोज रिसर्च करके और समझ कर राय दे सकता तो बेशक तक़लीद की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके मानी ये हैं कि हर शख्स मुजतहिद (धर्म के हुक्मों/आदेशों को समझने और रिसर्च करने वाला) होता तो दूसरे की राय की ज़रूरत ही नहीं होती। मगर दुनिया के आम सिस्टम के आधार पर यह काम मुम्किन ही नही है और न ही शरीयत में इसका हुक्म है । ज्ञान का कितना ही विकास हो जाए फिर भी दो वर्ग रहना ज़रूरी है। एक धर्म के जानने वाले लोग यानी आ़लिम जो धार्मिक मसलों को समझ सकते हैं दूसरे न जानने वाले आम लोग यानी जाहिल। अब ये आम लोग क्या करें? क्या ये समझ लिया जाए कि शरीयत के हुक्मों की उन्हें बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, और उन्हें बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए? फिर जब ये सही नहीं तो इसके सिवा और क्या सूरत है कि ना जानने वाले लोग (जाहिल) जानने वाले लोगों (आ़लिम) की तरफ़ जाऐं और उन से पूछ कर मसलों पर चलें। इसी का नाम 'तक़लीद' है ।

## इमामों के रहते तक़लीद का सिस्टम

यह कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि इमामों के काल में भी मौजूद थी। यह बात ज़ाहिर है कि इमाम किसी एक जगह (केन्द्र/Centre) पर होता है। इस्लाम और शिया धर्म बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ था और उन दूर रहने वाले लोगों पर भी शरीयत के हुक्म पर चलने की ज़िम्मेदारी थी। हर एक के लिए ये मुम्किन नहीं था कि वह खुद इमाम की सेवा में उपस्थित होकर मसलों को सीधे पूछे और शरीयत की जानकारी प्राप्त करे। बल्कि कुछ लोग ऐसे होते थे जो इमाम(अ०) से धार्मिक मसलों का ज्ञान प्राप्त करें और उसे दूसरे ना जानने वाले लोगों तक पहुँचायें। ज़ाहिर है कि इमामों की हदीसों (कथन) में आम बात (Generally सबके लिए) होती थीं। ख़ास बातें (specially ख़ास ख़ास लोगों के लिए अटूट अचूक बातें) होती थीं और बन्धन सच्चाईयाँ होती थीं और रुपक (जहाँ शब्दों के सीधे माने से मतलब न निकले जैसे किसी को शेर कहने कहने के माने हैं कि वह बहादुर है, चौपाया शेर नहीं।) आम लोगों को चाहे वह अरब के रहने वाले ही क्यों न हों, इसका मौक़ा हरगिज़ नहीं है कि वह किसी हदीस को सुनकर आंख बन्द करके उसके सीधे माने पर चलें। वह असहाब (इमामों के साथी) में से धर्म के ज्ञानी ही थे कि जो हदीसों से मानी -मतलब निकाल कर उसके नतीजे (Result/ Inference) यानी धर्म के आदेशों को न जानने वालों को बताते थे। यह वही इज्तिहाद (Research) और

तक़लीद (अनुसरण/Following) है जिसके बारे में आज सवाल सामने है। खुद रावियों (इमाम से हदीस सुनकर बयान करने वाले) में से सब ऐसे नहीं थे जो सदा अपने निजी ज्ञान पर चलें इसलिये कि कुछ रावी तो ऐसे हैं जिन्हें इत्तेफाक़ से इमाम के पास पहुँचने का सिर्फ़ एक ही मौक़ा मिला और उस वक़्त की कोई बात उन्होने बयान कर दी, लेकिन वह रावी लोग जो इमाम के बहुत ज्यादा ख़ास होते थे वे भी हर वक़्त हर मौक़े पर मौजूद नहीं रहते थे। इमाम(अ०) की ज्ञान वर्षा (लोगों तक धार्मिक हुक्मों/आदेशों के पहुँचने का सिलसिला बराबर जारी था। बेशक इमाम(अ०) बहुत से मसले इनके मौजूद न रहने पर भी बयान करते थे। अब इन रावियों के लिए जो उस वक़्त मौजूद नहीं थे उन मसलों को जानने का ज़रिया, उन रावियों का बयान ही हो सकता है जो इत्तेफाक़ से उस वक़्त मौजूद थे, जब इमाम(अ०) ने मसला बयान किया था। फिर ये बात खुली हुई है कि शब्दों का दुहराना हर एक के बस की बात नहीं है इसके लिए अच्छी याद रखने की अच्छी पुट की ज़रूरत है। सच्चाई यही है कि दूसरे शब्दों में मानी और मतलब का दुहराना ही है जिसके ज़रिये से रवायतें फैलती हैं। ज़ाहिर है कि मानी और मतलब का दुहराना खुद रावी की समझ और नतीजा (Conclusion) निकालने पर निर्भर है और जो कुछ वह समझता है उसी को दूसरों तक पहुँचाता है। वह दूसरे लोग जो इस रवायत को सुन कर उस पर चलते हैं, वह उसकी समझ और निकाले हुए नतीजे पर भरोसा ही तो करते हैं। ये तक़लीद नही तो और क्या है?

## क़ुर्आनी सुबूत

खुद क़ुर्आन मजीद में दीनी मसलों की जानकारी का जो तरीक़ा बताया गया है वह यही है। पुण्य कथन है।

''क्यों नहीं इनमें से हर समुदाय में से एक गिरोह सफ़र करता ताकि वह दीनी मसलों को समझे और वापस आने के बाद अपने गुट को डरायें। यानी शरीयत (धर्म क़ानून) के कर्तव्यों को चेतायें, शायद कि वह डरें यानी उन कर्तव्यों का पालन करने लगें।

यहाँ उन लोगों के लिए हुक्म दिया गया है जो दूर-दराज़ जगहों पर रहते हैं, उनमें से एक गिरोह को सफ़र करना चाहिए ताकि वह दीनी मसलों को मालूम करें।

यहां *'लेयसम'* नहीं है जिस के मानी ये होते हैं कि वह हदीसों को सुने और तब इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अख़बारी रवायतों के दुहराने या बताने से होता है बल्कि *'लेयतफ़क़्क़हू''* का शब्द है यानी समझें, इसका ताल्लुक़ मानी मतलब से है और इनका समझना नतीजा निकालने से है। फिर जब वह वापस जाते हैं तो उन्हीं हुक्मों को अपने गुट तक पहुँचाते हैं। अब अगर उनके बताये हुए हुक्मों पर दूसरों का चलना सही न हो तो इस पहुँचाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर साफ़ साफ़ इरशाद होता है कि वह लोग डरें यानी उनके बयानों से असर लें। इसका नतीजा सिर्फ़ ये है कि वह उन हुक्मों और कर्तव्यों पर चलने लगें। इसी को 'तक़लीद' कहते है।

## हदीसें

हदीसों में भी इसका सबूत है। अबान बिन तग़लब से फ़रमाया है कि "ऐ अबान! मदीने में बैठा करो और फ़तवे दिया करो क्योंकि मुझे पसन्द है कि मेरे शियों (दोस्तों) में तुम्हारे ऐसे लोग दिखाई दें"।

युनुस बिन अबर्दुरहमान से दीनी मसलों को पूछने का हुक्म दिया। ये वही इज्तेहाद और तक़लीद का सिस्टम है जो इस वक़्त बाक़ी है यही उस वक़्त भी चल रहा था। बेशक उस वक़्त इज्तेहाद आसान था क्योंकि उस वक़्त मासूम इमाम(अ०) मौजूद थे और ज़्यादा शक-व-शुबहों के परदे बीच में आड़े नहीं आते थे। इस वक़्त इज्तेहाद (क़ुर्आन व हदीस से धर्म क़ानून के मसले निकालना) ज़्यादा कठिन हो गया है। क्योंकि राय में फ़र्क़ बहुत ज़्यादा है शक शुबहे की बहुतात है और इस ज़माने में मासूम(अ०) सामने मौजूद नहीं हैं लेकिन इस से इज्तेहाद की सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही तक़लीद के मानी में कोई बदलाव पैदा होता है।

## तक़लीद के केन्द्र का चुनना (तक़लीद किसकी की जाए?)

जिस मामले की जितनी ज़्यादा अहमियत होगी, उसके बारे में उतना ही जतन होगा। तक़लीद दीनी मसले से जुड़ी हुई चीज़ है, जिस पर इन्सान की दुनिया और आख़ेरत निर्भर है, इसलिए तक़लीद के बारे में ये नहीं हो सकता कि आँख बन्द करके जिसकी चाहे तक़लीद कर ली जाए बल्कि ज़रूरत है कि उसमें गहरी सूझबूझ, कड़ी छानबीन और चुनाव से काम लिया जाए। कुछ लोग तो इसमे 'आलम' (सबसे ज़्यादा जानने वाला) होने की शर्त ज़रूरी समझते हैं यानी उसकी तक़लीद ज़रूरी है जिसकी राय सभी इल्म रखने वालों में सबसे ज़्यादा सही (शुद्ध) हो। मगर इस तरह मेरे नज़दीक 'आलम' की पहचान बहुत ही मुश्किल बल्कि मुमकिन ही नहीं है, मुश्किल इस वजह से है कि अगर 'उलमा' किसी एक शहर एक सूबे या एक ही देश की हद में रहते तो फिर भी आसान था कि उन सबके ज्ञान के स्तर को समझ कर ये फ़ैसला किया जा सके कि 'आलम' कौन है, लेकिन एसे ज़माने में जबकि ज्ञान का घेरा बहुत ज़्यादा फैल चुका है और अलग-अलग देश में उलेमा मौजूद हैं, उन सबमें एक नाम की पहचान भी बहुत कठिन है, और नामुमकिन इस लेहाज़ से मैं कहता हूँ कि आ़लम की पहचान (जांच-परख) करने वाले या तो आम लोग होंगे या फिर मुज्ताहिद। ज़ाहिर है कि आ़म लोग तो आ़लम की पहचान नहीं कर सकते। उसको अगर समझ सकते हैं तो सिर्फ़ मुज्तहिद। मगर आलम होने का आधार सिर्फ़ इस पर नहीं है कि उसे कितनी ज़्यादा चीज़ें याद हैं या उसकी नज़र कितनी फैली हुई है बल्कि उसकी राय के ठीक होने पर है और ये ज़ाहिर है कि हर मुज्तहिद शरीयत के मसलों में कुछ न कुछ नज़रिया या दृष्टिकोण रखता होगा और जो बात उसकी राय से मेल खाती होगी उसी को वह सही समझेगा। इसीलिए वह सबसे सही राय देने वाला इन्सान उसी को समझेगा जिसकी राय ज़्यादा मसलों में उसके हिसाब से सही हों यानी ख़ुद उसकी राय से मेल खाती हो लेकिन इससे 'आ़लम' होने का सही पता कैसे चल सकता है?

इसके अलावा ग़ौर करने पर एक और राज़ का पर्दा उठता है, वह ये कि 'आलम' होने का असर उन मसलों में ज़ाहिर होता है जहाँ 'आलम' और 'ग़ैरआलम' में भेद हो, लेकिन हर मुज्तहिद जबकि ख़ुद अपना नज़रिया रखता है यानी हर मसले में कुछ न कुछ अपनी जगह पर तय किये हुए है, तो वह ख़ुद अपनी राय और नज़रिये को ही सही मानेगा और उसके अलावा जो भी हो वह उसे सही नहीं समझेगा। यहाँ तक कि इसके सामने किसी बड़े से बड़े के फ़तवे का बयान किया जाऐ तो वह कह देगा कि इस मसले में उनसे भूल-चूक हुई है यानी उनकी राय सही नहीं है।

इसका नतीजा ये निकला कि उन सभी मसलों में जहां इसके और किसी दूसरे मुज्तहिद की राय में फ़र्क़ है वह उनमें अपनी ही राय और नज़रिये को सही हुक्म समझता है और उसके ख़िलाफ़ जिसका भी फ़तवा है उसे सही नहीं समझता। इसके मानी ये है कि हर मुज्तहिद चाहे वह ज़बान से न कहे लेकिन अपनी जगह पर अपनी ही राय और नज़रिये को सबसे ज़्यादा सही समझता है।

ये और बात है कि कोई ठिठक के अपने 'आलम' होने का दावा न करे लेकिन वह मुज्तहिद होने की वजह से अपने नज़रिये और राय के ख़िलाफ किसी राय को सही नहीं समझेगा। फिर उसके लिए किसी दूसरे के आलम होने का क्या मतलब रह जाता है?

मेरे नज़दीक, तक़लीद के लिए इस बात की ज़रूरत है कि अपनी जानकारी और पहुँच की हद में जिसके ज्ञान और अ़मल (आचरण) यानी इज्तेहाद और तक़्वा (संयम) व परहेज़गारी पर सबसे ज़्यादा भरोसा विश्वास हो, उस की तक़लीद की जाए।

ज़िन्दगी के हर हिस्से में यही तरीक़ा अपनाया जाता है। अगर डाक्टर की खोज होगी तो ऐसे की जो डाक्टरी में माहिर/निपुर्ण हो यह ज्ञान है, और मरीज़ों की

तरफ़ ध्यान देने में कमी न करता हो, निजी भावनाओं की वजह से दवा में ख़राबी न डालता हो, ये उसका 'अमल' है । मुक़दद्में के लिए वकील या बैरिस्टर की ज़रूरत होती है तो ऐसे की जो क़ानून में कुशलता रखता हो, ये उसका ज्ञान है, और रिश्वत लेकर दूसरे पक्ष से मिल न जाता हो ये उसका आचरण है। तक़लीद का ताल्लुक़ दीनी मसले से है इसलिये ज़रूरत है कि वह आ़लिम हो यानी इज्तेहाद की क्षमता (Capability) रखता हो, और इसके साथ 'आदिल' हो यानी उसे अपने कर्तव्यों का पूरा एहसास हो वरना डर है कि वह ज़ाती मतलब के लिए दीन के हुक्मों में बदलाव कर देगा। आराम-विलास से काम ले और खोज-बीन व कोशिश में ढिलाई बरते, इसलिए मसले ग़लत बताए। किसी वक़्त कोई मसला न मालूम हो या उस मसले के बारे में अभी ग़ौर न किया हो, तो साफ़-साफ़ ये कह देना कि अभी ये मसला मेरी नज़र से नहीं गुज़रा है या अभी मैने इस मसले पर ग़ौर नहीं किया है, अपनी शान के ख़िलाफ समझे, इसलिए अटकल से जवाब दे दे और कुछ न कुछ बतादे ताकि उसकी अज्ञानता का परदा न टूटे और आम लोग उसे बहुत बड़ा आलिम समझ लें। कभी बात पर अड़ा रहे व हठधर्मी से काम ले और जो बात मुँह से निकल गई चाहे बाद में उस ग़लती का एहसास भी हो फ़िर भी पहली बात पर अड़ा रहे और सही राय को ज़ाहिर न करे। ऐसा आदमी कभी तक़लीद के लायक़ नहीं है। ज़रूरत है इस बात की कि उसे अपने कर्तव्य की अहमियत का सही एहसास हो, वह वाजिब को करने और हर हराम से दूर रहने का कड़ाई से पाबन्द हो, उसके साथ-साथ मसले की खोज-बीन मे संघर्ष, जतन से काम लेता हो अपने स्वार्थ को दीनी मसलों में न मिलाता हो, और घमण्ड, अहम्, व हठधर्मी की वजह से कभी उस सच्चाई को ज़ाहिर करने में ढिलाई न करता हो, ऐसा आदमी तक़लीद के लायक़ है। इन्हीं बातों की हिफ़ाज़त के लिए 'अदालत' की शर्त लगाई गयी और उसका आदिल होना ज़रूरी पाया गया।

## अदालत (आदिल होना)

अदालत छिपी हुई चीज़ है, इसे 'ख़ुदा का डर, कर्तव्य का एहसास और ताक़त का जज़्बा कहा जा सकता है लेकिन चूँकि ये दिखने वाली चीज़ नहीं है इसलिए उसे सामने के प्रभावों यानी कामों के ज़रिये ही समझा जा सकता है। किसी इन्सान का अमली तौर से शरीयत का पाबन्द होना कि वह हर वाजिब (अनिवार्य) को करता है और हर हराम से दूर रहता है, इसी से हम समझ सकते हैं कि उसमें 'अदालत' है। अब ये बात कि वह कहाँ तक धर्म क़ानून से लगा बन्धा है इसके समझने का एक तरीक़ा, उसके साथ मेल-जोल करना, रहना-सहना है। यानी आप काफ़ी दिनों तक किसी के साथ रहे हैं और उसके सब हालात को जानते हैं, और आपने इतने दिनों साथ-साथ जीवन बिताने में ये अन्दाज़ा किया है कि उस में कर्तव्यों का एहसास पूरा पूरा है। दूसरा तरीक़ा ये है कि दो आदमी जिनके आदिल होने को आप इसी तरह समझते हों, वह किसी आदमी की अदालत की गवाही दें। तीसरा तरीक़ा ये है कि किसी के बारे में ज़्यादातर लोग अच्छे ख़्याल ज़ाहिर करते हैं और आम तौर पर उसके तक़्वे (संयम) और परहेज़गारी को माना जाता हो जिससे इन्सान को उसके बारे में इत्मिनान पैदा हो जाए।

ये वह तरीक़े हैं जिन से किसी इन्सान की 'अदालत' साबित हो सकती है ।

यह तरीक़ा अपनाना कि हम किसी ख़ानदान को मानते हैं इसलिए उस ख़ानदान में जो भी हो उसी की तक़लीद करेंगे या ये कि हमारे बड़े जिसकी तक़लीद करते थे हमें भी उसी की तक़लीद करना चाहिए, ये हरगिज़ सही नहीं है। इल्म का कमाल न मीरास है जो ख़ानदान में बंट जाती हो और न 'तक़्वा' और अच्छा चाल-चलन, छोड़ी हुई जायदाद है जो एक से बदल कर दूसरे के हाथ में आ जाये और बाप-दादा के तरीक़े पर चलना भी नजात (मोक्ष) का ज़िम्मेदार नहीं है।

ये इन्सान के दीन और दुनिया की नजात और कामयाबी का मसला है, इसमें उसे खुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए।

## तक़लीद का चलन

तक़लीद के मानी हैं किसी मुजतहिद से मज़हबी हुक्मों को (दीनी मसलों के हल) लेकर उन पर चलना। इसके लिए न किसी लिस्ट में नाम लिखाने की ज़रूरत होती है न मुजतहिद को ख़बर देने की कि मैं आपकी तक़लीद में आता हूँ।

मगर अफ़सोस है कि हमारे यहाँ आम लोगों के बीच में तक़लीद एक रस्मी चीज़ समझ ली गई है। किसी मुज्तहिद से कह दिया या एक काग़ज़ पर लिख कर भेज दिया कि हम आपकी तक़लीद में हैं । बस अब ये उनकी तक़लीद में हो गये, फिर कभी मसला पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती और न ही उसके फ़तवे से जानकारी ली जाती है।

इस तरह की तक़लीद के नतीजे दूसरी तरह से सामने आते हैं। खुदा न करे किसी रिश्तेदार का इन्तेक़ाल हो जायेगा तो तक़लीद याद आयेगी, हम फुलां मुज्तहिद साहब की तक़लीद करते हैं इसलिये नमाज़े जनाज़ा वही पढ़ायेंगे। माशाअल्लाह शादी-ब्याह का मौक़ा होगा तो निकाह पढ़वाने के लिए उन मुज्तहिद साहब का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और अपने आप को उसका मुक़ल्लिद बताया जाएगा। बच्चे के ख़तने में दुआ पढ़वाना, ज़रूरत के वक़्त इस्तेखारा दिखलाना, ये वह काम है जो मुज्तहिद के समझ लिये गये हैं ।

जबकि ये वह काम है जिनमें मुज्तहिद की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर उसके भी ये काम पूरे हो सकते हैं मगर जहाँ शरीयत के हुक्मों की परख पहचान जो ख़ास तौर से मुज्तहिद ही पर निर्भर है उसमें उसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती ।

तक़लीद का जो पैमाना मैने बताया है कि जिस मुज्तहिद पर सब से ज़्यादा इत्मिनान हो उसकी तक़लीद की जाए, इस के बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि तक़लीद के लिए एक ख़ास मुज्तहिद किस लिए? ज़ाहिर है कि वह सबसे बड़ा मुज्तहिद जिस पर सबसे ज़्यादा इत्मिनान है वह एक सीमित ही हैसियत रखता होगा, इसलिए किसी भी अबा क़बा वाले और सर पर अमामा रखने वाले को देख कर उसी से मसला पूछ लेना, ये तो शरीयत के हुक्मों को बिल्कुल मामूली चीज़ समझ लेना है।

मैं तक़लीद के मसले में इस बात को भी सही नहीं समझता कि कुछ मसलों में एक मुज्तहिद की तक़लीद की जाय और कुछ मसलों में दुसरे मज्तहिद की, क्योंकि अक्सर मसले ऐसे हैं जो आपस में टकराते हैं और आपस में लगे बन्धे होते हैं यानी अगर एक पर चलेगा तो दूसरे पर इसका असर हो सकता है। (यानी कभी कभी एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है)।

अब तक़लीद करने वाला ये नहीं समझ सकता कि वह कौन से मसले हैं, अगर उसने दो-चार आदमियों की अलग-अलग मसलों में तक़लीद की तो अक्सर ये सामने आएगा कि कई मुज्तहिद की तक़लीद करने वाला उन मसलों को अलग अलग कर देता है। जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे में अगर एक मसले में एक मुज्तहिद के फ़तवे पर चलेगा और दूसरे मसले में दूसरे मुज्तहिद के फ़तवे पर जिसका हुक्म पहले मुज्तहद से अलग है, तो इसका नतीजा ये होगा कि उसका अ़मल जो सामने आएगा वह दोनों के नज़दीक ग़लत होगा।

ये उसी तरह है जैसे आपको एक मकान बनवाना है। ज़ाहिर है कि इस मकान के दो ओर होंगे एक पूरब और एक पश्चिम। आप एक इंजीनियर के पास गये और उससे कहा कि इसके सिर्फ़ पूरब वाले हिस्से का नक़्शा बना दो, उसने जो ख़ास चीज़ें हैं जैसे-दालान, ड्राइंगरूम, रहने के कमरे बना दिये और उसके दिमाग़ में ये है कि दूसरी ज़रूरत की चीज़ें जैसे- बाथरूम, बावर्चीख़ाना, टॉयलेट वग़ैरह दूसरी तरफ़ बन जाएगा। उसके बाद आप दूसरे इंजीनियर के पास गये और पहले नक़्शे को दिखाये बग़ैर उससे पश्चिम के हिस्से का नक़्शा बनाने के लिए कहा तो उसने भी उन्हीं चीज़ों जैसे - दालान, ड्राइंगरूम, बेडरूम वग़ैरह पश्चिम की तरफ़ बना दी ये सोच कर कि बाक़ी चीज़ें पूरब के

हिस्से में बन जाएगी। आपने उन दोनों नक़्शों को लिया और उसके मुताबिक़ मकान तैयार कर लिया। अब नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ़ कमरे, दोनों तरफ़ ड्राइंगरूम, दोनों तरफ़ दालान मौजूद मगर पूरे घर में बाथरूम, पायख़ाना (लैट्रिन), बावर्चीख़ाना और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें ग़ायब हैं । ये एक ही मकान के दो हिस्सों का दो इंजीनियरों से नक़्शा बनवाने का नतीजा है। पूरे मकान का नक़्शा इन दोनों में से कोई एक भी बनाता तो अपनी-अपनी जगह पर सही होता, मगर दोनों नक़्शो के मिल जाने से नतीजा वह हुआ जो दोनों के नज़दीक ग़लत होगा यानी अगर किसी मकान में सिर्फ़ कमरे ही कमरे और दालान ही दालान हों और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें जैसे टॉयलेट, बाथरूम और किचन हो ही न तो कोई भी इंजीनियर इसे रहने के लायक़ एक पूरा मकान नहीं कह सकता।

इसी तरह अगर किसी आदमी को बुख़ार हो और किसी ख़ास जगह दर्द भी हो, एक डाक्टर के पास जाए और उससे सिर्फ़ दर्द के बारे में बताए और दर्द की दवा लिखवा ले अब दूसरे डाक्टर के पास जाए और उससे सिर्फ़ बुख़ार के बारे में बताए और उसकी दवा लिखवा ले, फिर इन दानों दवाओं को मिलाकर इस्तेमाल करे, अक्सर ये सूरत निहायत नुक़सानदे (Reaction) साबित होगी और कभी इससे जान का ख़तरा भी हो सकता है। हलांकि इनमें से किसी एक से भी अगर बुख़ार और दर्द दोनों का एक साथ इलाज कराया जाता तो दोनों उसका इलाज सही तरीक़े से कर देते और वह आदमी ठीक हो जाता है।

बिल्कुल यही बात शरीयत के मसलों की भी है कि कुछ हुक्म ऐसे है जो देखने में तो अलग-अलग हिस्सों में जुड़े हुए नज़र आते हैं, मगर उनकी जड़ एक ही होती है। मिसाल के तौर पर रमज़ान के महीने में किसी रात गुस्ल की ज़रूरत हो जाए और गुस्ल करने की गुंजाइश न हो तो 'तयम्मुम बदले गुस्ल' करने का हुक्म है, यानी इस नियम से तयम्मुम करें कि "तयम्मुम मैं करता हूँ बदले गुस्ले जनाबत के वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह"। इस तयम्मुम के बाद बहुत से उलमा का कहना है कि सोना जाएज़ नहीं है यानी अगर सो जाएगा तो वह तयम्मुम टूट जाएगा और फिर रोज़ा सही नहीं होगा। दूसरी बात (दूसरा हुक्म) जो सामने से मेरी नज़र में ज़्यादा सही है कि यहां सोना जाएज़ (सो सकता) है और इस तयम्मुम के बाद सो जाने से रोज़ा टूटता नहीं है यानी रोज़ा सही है। देखने में ये मसला रोज़े के हुक्मों से जुड़ा हुआ है। आप ने इस मसले को किसी आलिम से पूछा उन्होने कहा कि सोना जाएज़ है, कोई हर्ज नहीं। आप ने उनकी तक़लीद की और तयम्मुम करके सो गये।

दूसरी तरफ़ जब आप सो कर उठे और सुबह की नमाज़ पढ़ना हो तो अब वुज़ू करें या 'तयम्मुम' बदले गुस्ल करें?

देखने में ये मसला पाकी का है और नमाज़ से जुड़ा है, आपने इसे दूसरे आलिम से पूछा उन्होने कहा कि नमाज़ के लिये फिर तयम्मुम बदले गुस्ल करना चाहिए, यानी उनकी तक़लीद की और तयम्मुम बदले गुस्ल कर लिया और नमाज़ पढ़ ली। हालांकि दोनों ही मसले एक ही चीज़ से जुड़े हैं और आपने जो अ़मल किया है वह किसी आलिम के फ़तवे के लेहाज़ से सही नहीं हुआ।

असली अलगाव जो पैदा हुआ वह यहाँ से कि 'तयम्मुम' गुस्ल के लेहाज़ से 'पूरा बदल' है (इस नज़रिये के मुताबिक़) यानी 'तयम्मुम बदले गुस्ल' करने के बाद इन्सान उसी तरह पाक हो जाता है जिस तरह गुस्ल के बाद और जिन चीज़ों से वुज़ू या तयम्मुम टूट जाता है जैसे पेशाब, पाख़ाना, नींद आना, वग़ैरह से उस तयम्मुम बदले गुस्ल पर कोई असर नहीं पड़ता यानी उसकी पाकी तो बाक़ी रहती है लेकिन उन चीज़ों के जो तयम्मुम या वुज़ू को तोड़ देती है उनके हो जाने पर नमाज़ पढ़ने के लिए सिर्फ़ वज़ू की ज़रूरत होती है और अगर इन्सान के लिए नुकसान दे हो तो तयम्मुम बदले वुज़ू करना होगा। दूसरा नज़रिया कि तयम्मुम गुस्ल के लेहाज़ से अधूरा बदल है (इस नज़रिये के मुताबिक़) वह चीज़ें जो वज़ू या तयम्मुम को तोड़ देती है जैसे पेशाब, पाख़ाना,

नींद वग़ैरह के आ जाने पर 'तयम्मुम' बदले गुस्ल ' भी टूट जाता है और नमाज़ के लिए दोबारा 'तयम्मुम' बदले गुस्ल' करना होगा। जो लोग तयम्मुम को 'पूरा बदल' मानते हैं उनके नज़दीक सो जाना जाएज़ है लेकिन इस के बाद नमाज़ के लिए वज़ू करना चाहिए, जिस तरह अगर ये गुस्ल किये हुए होता तो जागने के बाद सिर्फ़ वुज़ू करना ज़रूरी था या अगर वुजु न कर सकता हो तो तयम्मुम बदले वुज़ू करना चाहिए लेकिन जो लोग 'पूरा बदल' मानते हैं उनके नज़दीक सोना जाएज़ नहीं औ अगर सो जाए तो नमाज़ के लिए फिर तयम्मुम के बदले गुस्ल करना चाहिए क्योंकि सो जाने से वह पहला तयम्मुम टूट गया और अब फिर ये उसी तरह नजिस हो गया।

आप सो तो गये मगर जागने के बाद नमाज़ के लिए वज़ू नहीं किया, तयम्मुम बदले गुस्ल किया जो किसी के नज़दीक सही नहीं था क्योंकि जिस मुज्तहिद से सोने की इजाज़ज मिली थी उसके नज़दीक सो कर उठने के बाद वुज़ू करना चाहिए था, और जिसके नजदीक सोकर उठने के बाद तयम्मुम बदले गुस्ल करना चाहिए, उसके नज़दीक पहले वाले 'तयम्मुम' बदले गुस्ल के बाद सोना जाएज़ नहीं है। इसलिए यकीन के साथ कहा जा सकता है कि आपने जो काम किया है उसकी वजह से या तो आपका रोज़ा ग़लत हो गया या नमाज़ सही नहीं हुई, क्योंकि जिसके नजदीक तयम्मुम 'बदले गुस्ल' के बाद सो जाना जाएज़ है उसके नज़दीक सोकर उठने के बाद नमाज़ के लिए वुज़ू ज़रूरी था और आप ने यहां वुज़ू नहीं किया लेहाज़ा बिना वुज़ू के नमाज़ पढ़ने की वजह से नमाज़ ग़लत हो गयी। और जिसके नजदीक 'तयम्मुम बदले गुस्ल' के बाद सोना जाएज़ नहीं था और आप सो गये लेहाज़ा तयम्मुम टूट गया और आप सुबह की अज़ान तक नजासत की हालत में सोते रहे इसलिए रोज़ा ग़लत हो गया, क्योंकि रोज़े के सही होने की शर्त है कि आप सुबह की अज़ान से पहले तक पाक हो जाएँ। इसका नतीजा ये है कि आपको नमाज़ की भी कज़ा करनी चाहिए और रोज़े की भी।

ये किस बात का नतीजा है ? इस बात का कि आपने एक अ़मल के लिए दो की तक़लीद की। अब चूंकि आप नहीं समझ सकते कि कौन से मसले एक दूसरे से जुड़े हैं और कौन से मसले एक दूसरे से अलग, इसलिए आपके लिए तो सही तरीक़ा यही है कि आप एक ही मुज्तहिद की तक़लीद करें। फिर जिस मसले में वह खुद इजाज़त दे कि आप इस मसले में किसी दूसरे मज्तहिद के फ़तवे पर अ़मल कर सकते हैं वह भी जिस पर पूरा इत्मिनान हो ताकि दूसरे मुज्तहिद के फ़तवे पर चलना जाएज़ होगा ।

## इन्तेक़ाल कर चुके मुज्तहिद की तक़लीद

एक मसला जिसके बारे में शको-शुबहा होता है, वह मरे हुए मज्तहिद की तक़लीद का मसला है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि किसी ज़िन्दा मुज्तहिद ही की तक़लीद की क्या ज़रूरत है? मरे हुए मुज्तहिद ही की तक़लीद पर बाक़ी रहना तो कुछ उलेमा भी जाएज़ समझते हैं, मगर जहाँ तक ग़ौर किया जाता है तो मालूम होता है कि सचमुच खुद तक़लीद का जाएज़ होना बुनियादी जड़ और क़ानून पर तो निर्भर है नहीं, अगर क़ानून पर निर्भर होता तो हर इन्सान दीनी मसलों की जानकारी और खोजबीन (Research) का ज़िम्मेदार होता, यानी मुज्तहिद बनना हर इन्सान के लिए ज़रूरी होता मगर ऐसा होने से ज़िन्दगी का पूरा तानाबाना बिगड़ जाता और ज़िन्दगी की दूसरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। इस ज़रूरत की वजह से तक़लीद की इजाज़त मिली है लेकिन जो बात ज़रूरत की वजह से होती है वह ज़रूरत ही के घेरे में सिमटी होती है और घेरे से आगे बढ़ने के लिए दलील की ज़रूरत होती है, अब देखना पड़ेगा कि तक़लीद की जो दलीलें हैं, क्या वह मरे हुए मुज्तहिद की तक़लीद का भी फ़तवा देती है या नहीं हैं, जैसे क़ुर्आन की आयत "हर गिरोह में से कुछ लोग दीन का इल्म सीखने के लिये निकलें" या वह हदीसें जिन में अबान बिन तग़लब को फ़तवा देने की बात की गयी है या यूनुस बिन अब्दुर्रहमान से मसला पूछने का हुक्म दिया गया है मगर ये बात ज़ाहिर है कि इन दलीलों में ज़िन्दा ही लोगों से हुक्म दिया जा रहा है। (......जारी)

मुख्य समाचार

इदारा

# सोलहवीं नावाबस्ता सरबराह कान्फ्रेंस ईरानी सियासी फ़तह

सितम्बर के पहले हफ़्ते में तेहरान में मुन्क़िक़दा सोलहवीं नावाबस्ता सरबराह कान्फ्रेंस ईरान की सियासी फ़तह साबित हुई है। ईरान के सुप्रिम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनायेगा मगर उसके पुर अम्न इस्तेमाल के हक़ से दस्तबरदार भी नहीं होगा। कुछ मग़रिबी मुल्क जौहरी तवानाई पर इजारादारी रखना चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता को एटमी हथियारों से पाक होना चाहिए। ग़ैर वाबस्ता मुमालिक के सरबराह इजलास से इफ़्तिताही ख़िताब में आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि दुनिया भर में फ़ौरी तौर पर एटमी हथियारों में कमी होनी चाहिए और दुनिया का कन्ट्रोल किसी डिक्टेटर के हाथ में नहीं होना चाहिए। रहबरे मोअज़्ज़म ने फ़रमाया कि यह कान्फ्रेंस ग़ैर वाबस्ता मुमालिक में ताअवुन बढ़ाने में मददगार होगी। तमाम मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ात बाहमी एहतिराम पर होने चाहिए। दो रोज़ा नावाबस्ता सरबराह कान्फ्रेंस में हिन्दुस्तान के वज़ीरे आज़म जनाब मनमोहन सिंह समेत 120 मुमालिक के सरबराह और सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीरे आज़म मनमोहन सिंह ने ईरान के मज़हबी रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनाई और सद्र अहमदी निज़ाद के साथ ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम के अलावा दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी उमूर पर तक़रीबन 2 घंटे बातचीत की और उन्हें इस बात पर भरोसा दिलाया कि वह हिन्दुस्तान से गेंहू के अलावा दीगर अशिया दरआमद करेंगे। इन रहनुमाओं के साथ बातचीत में मनमोहन सिंह ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान और सलामती कौंसिल के पाँच मुस्तक़िल रुक्न और जर्मनी के साथ न्यूक्लियाई मसले पर बातचीत फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीरे आज़म ने कहा कि वह उस ख़ित्ते में अमन के ख़्वाहाँ हैं।

कान्फ्रेंस में वज़ीरे आज़म जनाब मनमोहन सिंह ने अपने ख़िताब में शाम के हालात पर तबसिरा करते हुए कहा कि शाम में बिगड़ती हुई सूरतेहाल ख़ास तौर से तश्वीश का बाईस है। उन्होंने कहा कि शाम के तमाम शहरियों की जायज़ माँगों को पूरा किया जा सकता है। अगर वहाँ के फ़रिक़ैन ख़ुद भी मसायल को पुरअमन तौर पर हल करने के लिए इक़्दाम करें। वज़ीरे आज़म ने कहा कि मसला-उ-फ़िलस्तीन को हल करने के लिए और फ़िलस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए हम सब को नया अहद लेना चाहिए ताकि मुद्दते दराज़ से मसायब झेल रहे वहाँ के लोग ख़ुद अपने तौर पर फ़िलस्तीन में सुकून और इत्मिनान के साथ ज़िन्दा रह सकें।

कान्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए आयतुल्लाह ख़ामनाई ने वाज़ेह तौर पर कहा कि एटमी हथियार बनाना मुआफ़ होने वाला गुनाह नहीं है लेकिन साथ ही यह भी कहा कि एटमी तवानाई को पुर अमन तरीक़े से इस्तिमाल करना ईरान का पूरा हक़ है। नावाबस्ता मुल्कों के सरबराह कान्फ्रेंस को नाकाम करने के लिए अमरीका और उसके इत्तिहादियों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन हिन्दुस्तान और दूसरे नावाबस्ता तहरीक के बानी मुल्कों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। वज़ीरे आज़म मनमोहन सिंह, आसिफ़ ज़रदारी, शेख़ हसीना वाजिद, हामिद करज़ई, मोहम्मद मुरसी के अलावा कई मुल्कों के सरबराहों ने इस कान्फ्रेंस में शिरकत की और इस अज़ीम इजलास में अपने ख़्यालात ज़ाहिर किये।

# "ईद की ख़ुशी मुत्तहिद होने का पैग़ाम देती है" : मौलाना कल्बे जवाद

31 अगस्त 2012 को लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में सियासी और समाजी कारकुन और इत्तिहादे मिल्लत कन्वेशन के सद्र जनाब सिराज महदी साहब ने ईद मिलन तक़रीब का इनएक़ाद किया। इस तक़रीब में शिया-सुन्नी मज़हबी रहनुमाओं ने गंगा, जमुना और गोमती नदी के लिए अलग से वज़ारत की तजवीज़ रखी। इस मौक़े पर आचार्य प्रमोद क्रिशनन ने शेर पढ़ा किः

मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके।
तमाम रात मेरी ज़ात से ख़ुश्बू आई।।

नीज़ ख़िताब करते हुए आचार्य प्रमोद क्रिशनन ने कहा कि ईद का मतलब मुहब्बत है और मोहब्बत का मतलब इबादत है और जो इन्सान अल्लाह से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मगर वह अल्लाह की मख़लूक़ से मोहब्बत नहीं करता तो उसकी इबादत और मोहब्बत दोनों झूठी है। क़ायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब ने इत्तिहादे मिल्लत कन्वेशन के इस जलसे में गंगा, जमुना और गोमती नदी के लिए अलग से वज़ारत की तजवीज़ की ताईद करते हुए कहा कि ये नदियाँ जितना हिन्दुओं के नहाने के लिए पाक होना ज़रूरी हैं उतना ही मुसलमानों के लिए भी क्योंकि पानी का पाक व साफ़ होना लाज़मी है चाहे उसे कोई पिये, नहाये या वुज़ू करे। उन्होंने इत्तिहाद पर ज़ोर देते हुए कहा कि इत्तिहाद वक़्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ईद ख़ुशी का दिन है लेकिन इस्लाम में अकेले ख़ुश रहने का हुक्म नहीं इसीलिए ईद का फ़ितरा नमाज़ से पहले है ताकि ग़रीब भी ईद की ख़ुशी साथ में ही मनाये। क़ायदे मिल्लत ने कहा कि ईद की ख़ुशी मुत्तहिद होने का पैग़ाम देती है।

सदारती तक़रीर करते हुए नदवतुल उलमा के प्रिंसपल मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी ने कहा कि इत्तिहादे मिल्लत आज के वक़्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भाई भाई का दुश्मन है ज़रूरी है कि इत्तिहाद की सही तस्वीर सामने आये। उन्होंने कहा कि मज़हबे इस्लाम इत्तिहाद का पैग़ाम देता है, तमाम इन्सान एक ही बाप के बेटे हैं, और एक ही अल्लाह के बन्दे हैं। इत्तिहादे मिल्लत कन्वेशन के सद्र सिराज महदी साहब ने अपनी तक़रीर में कहा कि इत्तिहाद ही आज के तमाम मुसलमानों के तमाम मसाएल का वाहिद हल है। आख़िर में मुनव्वर राना और मंज़र भोपाली ने अपने अपने कलाम से इत्तिहाद का पैग़ाम दिया और कन्वेनशन के सद्र सिराज महदी साहब ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया।

# "मुसलमान पूरी ताक़त से मस्जिद में सहयूनी शराब मेला रोकें" : फ़िलस्तीनी

फ़िलस्तीनी शहर ग़ाज़ा पट्टी में इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास की हुकूमत के वज़ीरे बराये मज़हबी उमूर ने मक़बूज़ा फ़िलस्तीनी शहर बैरसबा की एक क़दीम जामा मस्जिद में इस्राईल की जानिब से शराब मेले के इनएक़ाद की शदीद मज़म्मत की है। उनका कहना है कि इस्राईल मुसलमानों की इबादतगाह में शराब मेला मुन्क़िद करके आग से खेल रहा है। आलमे इस्लाम को चाहिए कि वह पूरी ताक़त के ज़रिये इस मेले का इनेक़ाद रुकवायें। मरकज़े इत्तिलाआते फ़िलस्तीन के मुताबिक़ फ़िलस्तीनी वज़ीर बराये मज़हबी उमूर डाक्टर इस्माईल रिज़वान ने कहा कि सहयूनी म्यूनिस्पलिटी की जानिब से बैरसबा की जामा मस्जिद अलकबीर में शराब मेले का एलान मुसलमानों के जज़्बात को उभारने की कोशिश की है। आलमें इस्लाम अपने मज़हबी मरकज़ को शराब जैसी मकरूह और हराम चीज़ से आलूदा होने से बचायें। डाक्टर इस्माईल रिज़वान ने अरब मुमालिक, इस्लामी ताव्वुन तन्ज़ीम और मुस्लिम दुनिया में इन्सानी हुक़ूक़ के लिए काम करने वाली तमाम तन्ज़ीमों से भी अपील कि कि वह अपनी अपनी जगह पर सहयूनी हुकूमत के इस मकरूह इक़दाम की रोकथाम के लिए इक़दामात करें।